


न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम रामचन्द प्रकरण सं. 05/2015 प्रकरण - गुण्डा एक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25.02.2019	<p>पत्रावली पेश हुई। लोक अभियोजक उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना कोलवा जिला दौसा की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल श्री रामचन्द पुत्र श्री ग्यारसा जाति मीना निवासी धनावड थाना कोलवा जिला दौसा की मृत्यु हो चुकी है। मृत व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः जिला पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत गुण्डा एक्ट प्रकरण खरिज किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक दौसा को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमास होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 25.02.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p> अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा</p>	<p>निर्णय 553 01.3.19</p>

